

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 122/2024
दायर दिनांक :- 05.07.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/257
निर्णय दिनांक :- 07.03.2025

1. पूनाराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी माडपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. हरीराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई निवासी माडपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. दूडाराम पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई निवासी माडपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. गोपीलाल पुत्र पूनाराम जाति विश्नोई निवासी माडपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-अप्रार्थी


राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :- 1. श्री रवि कुमार पालीवाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:निर्णय:-

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा झड़ासर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 767/5 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे हैं और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती पूर्व दिशा में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 767/3 रकबा 6.5316 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 901/769 रकबा 14.5688 हैक्टेयर भूमि ग्राम झड़ासर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 767/5 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 767/3 व 901/769 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी की भूमि से लगती डामर सड़क जो मौके पर सोनलपुरा, झड़ासर से 33 के.वी. जी एस एस तक जाती है जिस डामर सड़क तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगोदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।


सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार -

1. प्रार्थीगण वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 767/5 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 767/3 व 901/769 में से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 901/769 के निकटतम चिपती मुडिया सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 767/3 व 901/769 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.1378 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया -

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अनोपनगर पटवार क्षेत्र राणेरी के खसरा नंबर 767/3 रकबा 0.0839 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 901/769 रकबा 0.0539 हैक्टेयर मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)